

- चारागाह में पहले छोटे पशु (बछड़े) को चरने के लिए भेजें, फिर उसके बाद वयस्क पशु को भेजना चाहिए एवं लगातार कई महीनों तक पशुओं को एक ही चारागाह में नहीं चरना चाहिए ।
- यदि एक ही चारागाह में बकरी, भेड़ एवं गाय को चरना है तो पहले बकरी को, फिर भेड़ एवं अन्त में गाय को चरने के लिए भेजना चाहिए । बकरी और भेड़ के शरीर में पाये जाने वाले कृमियों उभयनिष्ठ हैं । एक साथ चराने से संक्रमित बकरी और भेड़ के शरीर से कृमियों की अवस्था निकलकर एक-दूसरे के शरीर में प्रवेश करता रहेगा ।

कृमिनाशक सारणी (डीवर्मिंग)

- गाय-भैंस में प्रथम कृमिनाशक दवा 3 सप्ताह पर, फिर हर महीना 6 महीने की उम्र तक तथा फिर 6 महीने उम्र बाद प्रत्येक 2 महीने पर कृमिनाशक दवा पशु चिकित्सक के परामर्श से देना चाहिए ।
- बकरियों में प्रथम कृमिनाशक दवा 4 सप्ताह पर, फिर 8 तथा 12 सप्ताह पर दे और वयस्क बकरी में प्रत्येक 2 महीने पर कृमिनाशक दवा देते रहे ।
- कुत्तों में प्रथम कृमिनाशक दवा 2, 4, 6, 8, 12 एवं 16 सप्ताहों की उम्र पर फिर 6 महीने एक वर्ष पर और वयस्क कुत्तों में वर्ष में दो बार कृमिनाशक दवा देना चाहिए ।

पशुओं को पेट की कृमियों से बचाव हेतु कृमिनाशक दवा का उपयोग उपरोक्त कृमिनाशक सारणी (डीवर्मिंग) के अनुसार पशुपालक सदैव पशुचिकित्सक से परामर्श लेकर करें ।



जालेन्द्र एवं प्रस्तुतिकर्ता:- अजीत कुमार, पंकज कुमार एवं राज किशोर शर्मा
सहायक प्राध्यापक, पशुचिकित्सा विभाग, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय

विशेष जानकारी के लिए सम्पर्क करें:-

प्रसार शिक्षा निदेशालय

बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय परिसर पटना-14

Email: deebasupatna@gmail.com (Official), dee-basu-bih@gov.in

Mob.: +91 94306 02962, +91 80847 79374

EE-805191078 / March 2022

पशुओं में विकृमिकरण (Deworming)

प्रसार शिक्षा निदेशालय

बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना-14

पशुओं में डीवर्मिंग

पेट की कृमि के संक्रमण के चलते पशुओं में खून की कमी, अपच, शरीर भार में कमी, दूध उत्पादन में कमी, प्रजनन क्षमता एवं कार्य में उपयोग होने वाले पशुओं के कार्य करने की क्षमता में कमी तथा समयानुसार उपचार न करने पर संक्रमित पशु का मृत्यु हो जाना जिसके फलस्वरूप पशुपालक को अत्यधिक आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है। पर, यदि पशुपालक समयानुसार इसके रोकथाम का उपाय कर लें तो अपने पशुओं में कृमि के संक्रमण को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। पेट की कीड़ों से पशुओं के बचाने हेतु कृमिनाशक औषधि के उपयोग की अपेक्षा कृमि से बचाव के उपायों पर ज्यादा जोर देना चाहिए। कृमियों को पशु के शरीर से कृमिनाशक औषधि के द्वारा बाहर निकालने की विधि को डीवर्मिंग कहते हैं। कृमिनाशक औषधि अभी भी कृमियों से पशुओं के बचाव के सबसे महत्वपूर्ण उपाय के रूप में माना जाता है। लेकिन पशुपालक को कृमिनाशक औषधि के उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि कृमिनाशक औषधि के अंधाधुंध उपयोग से कृमियों में कृमिनाशक प्रतिरोधक विकसित हो रहा है जिसके कारण कृमिनाशक औषधि कृमियों के संक्रमण से बचाव में कारगर सिद्ध नहीं हो रहा है। अतः पशुओं में कृमिनाशक औषधि का उपयोग रणनीति के अनुसार करना चाहिए।

पेट की कृमियों या कीड़ों के रोकथाम में निम्न सुझावों को जरूर अपनाना चाहिए:-

- पशु के रहने के आवास को साफ-सुथरा एवं सूखा रखें।
- पशुपालक को अपने पशुओं के मल की जाँच प्रत्येक तीन महीने के अन्तराल पर निकटतम पशुचिकित्सालय में जरूर कराते रहना चाहिए ताकि समय पर पशुओं के पेट में मौजूद कृमि का पता चल सकें।
- गर्भधारण कराने के पहले मादा पशुओं को कृमिनाशक औषधि खिला देनी चाहिए।
- कृमि संक्रमित पशुओं के साथ-साथ कृमिमुक्त पशुओं को भी कृमिनाशक औषधि सुबह भूखे पेट देना चाहिए।

- कृमिनाशक औषधियों की उचित मात्रा एवं बदलाव पशुचिकित्सक के परामर्श पर समयानुसार करते रहना चाहिए।
- कृमिनाशक औषधि की निर्धारित खुराक से कम मात्रा में उपयोग कदापि नहीं करें।
- पेट की कृमि से बचाव हेतु पशुओं के आहार में प्रोटीन, विटामिन-बी एवं विटामिन-सी प्रचुर मात्रा में देनी चाहिए।
- लीवर फ्लूक एवं एम्फीस्टोमोसिस कृमिजनित रोगों से बचाव के लिए कृमिनाशक औषधि (ऑक्सीक्लोजानाइड या ट्रिक्लावेनडाजोल) वर्षा शुरू होने से पहले (मई-जून महीने में) एवं दिसम्बर महीने में जरूर पिलावें।
- बकरी में कृमिनाशक औषधि के अत्याधिक उपयोग से कृमियों में कृमिनाशक औषधि के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है जिसके फलस्वरूप वह कृमिनाशक औषधि बकरी के शरीर में दुबारा कृमि हटाने के काम में नहीं आ सकेगा। कृमिनाशक औषधि प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होने से बचाव के लिए बकरी को हिमॉक्स कृमि के संक्रमण से रोकने हेतु कृमिनाशक औषधि का प्रयोग फामाचा विधि के अनुसार करनी चाहिए। जिसके अनुसार कृमिनाशक औषधि का प्रयोग बकरी या भेड़ में हिमॉक्स कृमि से बचाव हेतु तभी करनी चाहिए, जब प्रभावित बकरी की आँख की भीतरी भाग की झिल्ली फीका हो जाय या रक्त का पैकट सेल वालूम (पी. सी. भी.) 15 प्रतिशत से कम हो जाए।
- जलीय घोंघो से संक्रमित स्थानों के आस-पास पशुओं को नहीं चराना तथा घोंघों से संक्रमित तलाबों में पशुओं को पानी पीने या स्नान के लिए नहीं जाने देना चाहिए। घोंघा संक्रमित जलीय स्थानों पर घोंघानाशक रसायन जैसे-कॉपर सल्फेट 22.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करनी चाहिए।
- बच्चों एवं वयस्क पशु को अलग-अलग रखें क्योंकि वयस्क पशु बहुत सारे कृमियों के वाहक का कार्य करते हैं एवं कृमि का अण्डें पशु के गोबर से निकलते रहते हैं।